

क्रमांक	केन्द्र का नाम व पता	धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र बहराइच	33.00	8
	योग	33.00	8

(रु० तैंतीस हजार मात्र)

(बी०बी० सिंह)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-२२१/26-ब0प्र0-2012-140(खा)/20

प्रेषक,

बी०बी० सिंह  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक-२५ मई, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (टी०एस०पी०) में धनराशि की वित्ती स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु 1.00 लाख (रु० एक लाख मात्र) के सापेक्ष रु० 33,000/- (रु० तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न फॉर्म के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-3520/दस-11-231/12 दिनांक 16.12.2011 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस०सी०एस०पी०/ टी०एस०पी० के मानक/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोगना-05-कौशल सुधार प्रशिक्षण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-3520/दस-2011-231/2012 दिनांक 16.12.2011 तथा शासनादेश संख्या-बी-1-547/दस-2012-231/2012, दिनांक 20.3.2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(बी०बी० सिंह)  
संयुक्त सचिव।

शासनादेश (अ.श.३)

7-6-12 संख्या-२२१ (1)/26-ब0प्र0-2012-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु०-4
- 6- गार्डफाइल/रु० अ.श.३


आज्ञा से,

(बी०बी० सिंह)  
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या- २२१ / 26-ब0प्र0-2012-140(खा) / 2007 दिनांक २९ मई, 2012 का  
संलग्नक।

क्रमांक	केन्द्र का नाम व पता	धनराशि हजार रू०	
		धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र बहराइच	33.00	8
	योग	33.00	8

(रू० तैंतीस हजार मात्र)

  
(बी०बी० सिंह)  
संयुक्त सचिव ।

५